

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 32/2018

RCMS Case No. 2018/00052

प्रार्थी :-
सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थी:-

1. अणचीदेवी पत्नी नगाराम
2. प्रतापराम पुत्र नगाराम
3. हकमाराम पुत्र नगाराम
4. मोहनलाल पुत्र नगाराम
5. बाबूलाल पुत्र नगाराम
6. लालाराम पुत्र नगाराम
7. मानाराम पुत्र नगाराम
8. जीवाराम पुत्र खरता
9. सोहनलाल पुत्र खरता जातिगण मेघवाल
निवासीगण माण्डल, तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी हकमाराम, लालाराम व मानाराम उपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक 24/05/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माण्डल तहसील रानी के खसरा नम्बर 334/2, 334/3 रकबा क्रमशः 1.04 बीघा, 1.14 बीघा किस्म बा0प्र0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के पति/पिता को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 285 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नाडा थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम माण्डल के नामान्तरकरण संख्या 285 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि तहसीलदार पाली अप्रार्थी के पति/पिता के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रुपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रानी ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों

अति. जिला कलेक्टर, पाली

को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम माण्डल तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 334/2, 334/3 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 485 गै0मु0 नाडा है। उक्त भूमि तहसीलदार पाली द्वारा नियमन करने से नामान्तरकरण संख्या 285 के जरिये अप्रार्थी के पति/पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 485 की किस्म नाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ नियमन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर नाला दर्ज किया जाना है। अतः तहसीलदार पाली द्वारा अप्रार्थी के पति/पिता के पक्ष में किया गया नियमन तथा उक्त नियमन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक/राजस्व/799 दिनांक 09.08.1971 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम माण्डल तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 285 को निरस्त करावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली